Sukhdev - 19 September

Q - Bring out the main features of the administration system under Delhi Sultanate during Turko - Afghan Period! [10 M]

उत्तर - दिल्ली सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है -

1 - प्रशासनिक व्यवस्था अब्बासी, गजनवी, सल्जूकी प्रशासन के साथ ईरानी तथा भारतीय परिस्थितियों व परंपराओं से प्रभावित

2 - प्रशासन का चरित्र राजतंत्रिक, जिसमें सुल्तान प्रशासन की धुरी, सशस्त्र बल का प्रधान तथा सत्ता व प्रतिष्ठा का केन्द्र बिंदु। इसके तहत अनेक शासकों जैसे- बलबन द्वारा स्वयं को जिल्ल - अल्लाह (ईश्वर की छाया) के रूप में भी पेश किया गया। हालांकि शासक पूर्ण निरंकुश नहीं उस पर धर्म के नैतिक नियंत्रण के साथ उत्तराधिकार की अनिश्चित व्यवस्था व अमीरों के बीच सत्ता संघर्ष शासक को शक्ति को सीमित करने वाले कारक के रूप में उभरते है

3 - सुल्तान की सहायता के लिए अनेक मंत्री, हालांकि सुनिश्चित मंत्रि - परिषद का अभाव। बरनी ने इस संबंध में चार विभागों का उल्लेख किया है -

a - वजीर + जो सामान्यत: वित्तीय व राजस्व मामले देखने के साथ सम्पूर्ण प्रशासन का अधीक्षण करता था। हालांकि वह सर्वेसर्वा नहीं था तथा शासक

Scanned by CamScanner

के व्यक्तित्व व उसकी मर्जी पर उसकी शक्ति निर्भर थी जैसे कि- तुगलक काल में वजीर की प्रतिष्ठा में वृद्धि का होना। वजीर सामान्यतः दिवान-

b- ए-विजारत का प्रमुख था जिसमें मुशर्रिफ (आय का प्रभारी), मुस्तौफी (व्यय का प्रभारी), नायब, खजांची तथा आमिल (संग्रहकर्त्ता) की भी भूमिका होती थी

b- दिवान-ए-अर्ज सेना विभाग था, जिसका प्रमुख आरिज-ए-मुमालिक था। अलाउद्दीन के काल से यह विभाग पूर्ण विकसित हुआ जिसके तहत दाग व चेहरा प्रणाली की शुरुआत की गयी। इसके तहत मीर हाजिब (शाही घुड़सालों का अधीक्षक) तथा शहना-ए-पील (शाही हाथियों का प्रभारी) की भी भूमिका थी

c- दिवान-ए-इंशा राजकीय व विदेशी पत्र व्यवहार से संबंधित विभाग था, जिसका प्रमुख दबीर-ए-खास था

d- दिवान-ए-रिसालत संभवतः धर्म व न्याय से संबंधित विभाग था, जिसका प्रमुख सद्र-ए-जहां अथवा वकील-ए-दर था। विभिन्न सुल्तानों के काल में इसके कार्य भिन्न रहे हालांकि जरूरतमंदों को वजीफा (आजीविका) व इनाम मुक्त भूमि आवंटित करने का इसका मूल कार्य हमेशा जारी रहा।

Scanned by CamScanner

इसी के तहत काजी (न्यायिक विभाग का प्रमुख), मुहतसिब (नैतिकता, माप-तौल, मूल्य नियंत्रण के लिए), शहना (अलाउद्दीन के काल में बाजार नियंत्रण) की भी नियुक्ति की जाती थी।

4- राजदरबार व शाही कुटुम्ब के तहत वकील-ए-दर (शाही कुटुम्ब की सेवाओं से संबंधित), अमीर हाजिब या बारबक (राजदरबार की व्यवस्था से संबंधित), बरिद-ए-खास (गुप्तचर विभाग प्रधान), कारखानों (सुल्तान व शाही हरम की जरूरतों के विनिर्माण व भण्डारण का दायित्व) तथा दिवान-ए-इमारत (लोक निर्माण विभाग) की भूमिका थी।

5- प्रान्तीय व स्थानीय शासन के तहत प्रारम्भ इक्ता व्यवस्था प्रभाव थी, जिसमें वली या मुक्ति के अधीन सैन्य या प्रशासनिक क्षेत्र प्रदान किया जाता था, जिसके प्रशासन, राजस्व संग्रहण, सामान्य कानून व्यवस्था का दायित्व उसी पर था।

यद्यपि सूबों की संरचना के बारे में बहुत कम ज्ञात है तथापि कई इक्ताओं के समूह को सूबा कहा जा सकता था जिसे खित्ता या विलायत भी कहते थे। इसके तहत गवर्नर व नायब होते थे जिन पर केन्द्र का नियंत्रण था।

Scanned by CamScanner

व इसके नीचे के
6. जिला, प्रशासन के सन्दर्भ में हमें पूर्व काल में शिकों व सरकारों की जानकारी मिलती है जबकि सल्तनत काल में परगनों, सदियों (100 गांवों की इकाई) तथा चौरासियों (84 गांवों की समूहवाची इकाई) का विवरण मिलता है। इसके तहत चौधरी (आनुवांशिक भू-स्वामी), आमिल (राजस्व संग्रहकर्ता), खूत (गांव का जमींदार) तथा मुकद्दम (गांव प्रधान), पटवारी (राजस्व लेखक) जैसे अधिकारियों की भूमिका दिखती है। इस तरह, गांव के स्तर पर तो हिन्दू शासकों का विरासती अल्पविकसित शासन तंत्र ही था।

इस प्रकार, सल्तनत काल की व्यवस्था वस्तुतः एक विकासमान व्यवस्था थी, जिसमें क्रमशः ही केन्द्रीय शासन के सुदृढ़ीकरण का तत्व शामिल हुआ जो मुगल काल तक आते - आते और मजबूत हुआ।

Scanned by CamScanner